(iv) EXPLORING POTENTIALITIES OF EXPORTING GRANITE ROCKS FROM PALGHAT.

*SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat): Palghat abounds in granite rocks. These rocks and a new charm to this beautiful area which lies against the background of the enhanting western ghats. These rocks are used for construction of beautiful mansions and are available in abundance and at cheaper cost.

According to the scientists, the granite rocks found in Palghat are as old and as hard as the rocks found in moon. That is to say, about 4500 million years' old. The experts are of the opinion that we can earn a lot of foregin exchange from these rocks if they are properly utilised.

In America, huge crosses and memorials are erected from marble stones. If, instead of marbles which undergo wear and tear fairly quickly, the possibilities are explored as to the use of these granite stones, then we will be able to export them on a large scale. At present, stones not of very great antiquity are being exported to foreign countries. If the granite stones of Palghat, which are better in terms of antiquity and hardness, are exported then we would be able to earn a large amount of foreign exchange.

Therefore, I request the Government to send a study team to Palghat immediately to ascertain the potentialities of export of these stones.

(v) DIFFICULTIES BEING FACED BY VILLAGERS LIVING ON THE BORDER BETWEEN BIHAR AND UTTAR PRADESH.

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

गंगा और घाघरा के तटीय 50 किलोमीटर लम्बी एवं 10 किलोमीटर चौड़ी वलुआही क्षेत्र में 50,000 एकड़ भूमि गंगा की गहरी धारा के कटाव तथा बाढ़ के कारण बिहार एवं उत्तर प्रदेश के आर-पार आती जाती रहती है। इस क्षेत्र में पांच लाख किसान प्रान्तीय सीमा के हेर-फेर की समस्या में उलझते रहते है । यह एक शाश्वत समस्या बन गई है । यू० पी० एवं बिहार के किसान कौरव-पांडव की तरह सीमा पर महाभारत युद्ध करने पर उतारू रहते हैं । रबी फसल तैयार है। बिहारी किसानों को यदि शान्तिपूर्वक उन की रेयती जमीनों से फसलों को काटने में सुरक्षा आश्वस्त नहीं की गई तो शांति भंग होने की हर संभावना दृष्टिगोचर हो रही है ।

बिहार सरकार ने यू० पी० सरकार के भू-अभिलेखों के आधार पर वहां के किसानों को मान-गुजारी रसीदें दी और उन्हें वैधानिक अधिकारों की मान्यता दी । वे शान्तिपूर्वक फसलें लगा कर काट ले जाते हैं । दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने 144 गांवों के किसानों को न तो उनके वैधानिक अधिकारों को माना और न तो उन्हें मान गुजारी रसीदें ही जारी की । इस प्रकार उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की खुली अवहेलना करा वर्षों से कर रही है, जिसमें सीमावर्ती बलिया जिले और भोजपुर जिले के किसानों में जम कर संघर्ष की कई घटनायें घट चुकी हैं । फसल कटनी के समय यू० पी० के किसान बिहारी किसानों की फसलें बंदूक गोली की नोक पर काट लेते हैं, जिसमे स्थिति विस्फोटक हो गई है ।

सम्प्रति बिहारी प्रभावित किसान अपने वैधानिक अधिकारों की मान्यता के लिए विगत 2 फरवरी, 1981 से बक्सर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष भूख

*The original speech delivered in Malayalam.